


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(3)के अनुरूप ग्रुप एफ में संवर्गित प्रधानाध्यापक (मावि) एवं समकक्ष पद पे-बेण्ड 15600-39100 पी बी-3 ग्रेड पे 5400 में 2013-14 व 2014-15 की रिक्तियों के विरुद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही में की गई अनुशंसाओं के आधार पर इस कार्यालय के आदेशांक:- शिविरा/मा/संस्था/बी-III/रिव्यू प्रअ/डीपीसी/2013-14 से 2017-18/(पुरुष) दिनांक:-16.12.2018 द्वारा चयन आदेश जारी किया गया था। उक्त चयनित कार्मिकों में जो पूर्व से ही प्रधानाध्यापक-मावि पद पर कार्यरत है के सम्बन्ध में यथावत पदस्थापन आदेश समसंख्यक पत्रांक दिनांक 04.01.3019 द्वारा जारी किये गये थे।

उक्त आदेश में क्र.सं:-303 पर उल्लेखित व0क0 1458/90-91 श्री अमर सिंह जाटव प्र0अ0(जन्मतिथि 05.06.1965) रामावि चैनपुरा करौली के वरिष्ठता क्रमांक 1458/1990-91 के स्थान पर 3496-I/88-90 पढे जाने का संशोधन एतद् द्वारा जारी किया जाता है।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी।


(नूतनबाला कपिला)

संयुक्त निदेशक-कार्मिक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान


बीकानेर

दिनांक:-09/01/2019

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/बी-1/45001/प्रअ/रिव्यू-नियमित/डीपीसी-13-14 व 14-15/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

01. संबंधित संयुक्त निदेशक -स्कूल शिक्षा भरतपुर।
02. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी-स्कूल शिक्षा, करौली।
03. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)माध्यमिक,करौली।
04. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
05. संबंधित संस्था प्रधान।
06. संबंधित पदोन्नत कार्मिक
07. सहायक निदेशक वरिष्ठता/संस्था/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/ प्रभारी बी-3
08. निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक-कार्मिक